विधान परिषद के प्रथम सत्र 2025 के द्वितीय शुक्रवार के लिए निर्धारित श्री हंसराज विश्वकर्मा, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूंछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-02 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
2 (क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय चक्रीय स्थानान्तरण नीति 2018 के अनुसार किन-किन संयुक्त सचिवों का दूसरे विभाग में कब-कब स्थानान्तरण होने पर भी उन्हें कार्यमुक्त नहीं किया गया ? (ख) वर्तमान पदों पर रोके जाने हेतु उनके विभागीय अपर मुख्य सचिव ने किस कारण और किस तिथि को अनुरोध किया ?	जी हां। चक्रीय स्थानांतरण नीति 2018 के अनुसार किसी विभाग में संयुक्त सचिव 03 वर्ष तक तैनात रह सकता है। उक्त चक्रीय स्थानांतरण नीति के आधार पर समयसीमा पूर्ण कर चुके संयुक्त सचिव की तैनाती/स्थानांतरण अन्यत्र विभाग में किया जाता है। चक्रीय स्थानान्तरण नीति से आच्छादित वर्तमान में कार्यरत संयुक्त सचिवगण में से श्री कल्याण बनर्जी, संयुक्त सचिव, नगर विकास विभाग का स्थानांतरण सचिवालय प्रशासन अनुभाग-1(अधि0) के कार्यालय आदेश दिनांक 31-10-2023 द्वारा संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के पद पर तैनात किया गया था, जिन्हें कार्यमुक्त नहीं किया गया। श्री कल्याण बनर्जी, संयुक्त सचिव, नगर विकास विभाग का स्थानांतरण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में हो जाने पर प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग के पत्र दिनांक 02-11-2023 द्वारा श्री बनर्जी का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में किया गया स्थानांतरण महाकुम्भ, 2025 के आयोजन संबंधी कार्य के गतिमान होने एवं अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े इस हेतु कार्यहित में निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।
(ग) चक्रीय स्थानान्तरण नीति के विरूद्ध उनका चक्रीय स्थानान्तरण रोके जाने के सबंध में सक्षम स्तर पर कब-कब अनुमोदन प्राप्त किया गया ?	श्री कल्याण बनर्जी, संयुक्त सचिव, नगर विकास विभाग का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में किये गये स्थानांतरण को स्थगित किये जाने हेतु सक्षम स्तर का अनुमोदन दिनांक 12-06-2024 को प्राप्त किया गया।

योगी आदित्यनाथ
मुख्य मंत्री ।